न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2023/660

मिसल नम्बर–374 / 2023

जगन्नाथ आत्मज स्वर्गीय गोपाल, जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 25/11/24

उपस्थितिः–

1.श्री ललित नागर अधिवक्ता प्रार्थी।

2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के कब्जे काश्त एवं गैरं खातेदारी की भूमि खाता संख्या 75 के खसरा नम्बर 1012 की रकबा 0.1000 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम ताथेड, पटवार हल्का ताथेड़, भू०अभि0नि0 क्षेत्र ताथेड़, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर स्थित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादी को उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 741 की रकबा 1.45 हैक्टर भूमि में से 0.10 हैक्टर भूमि अवाप्ति के बदले प्राप्त हई है. जिसका नामान्तकरण संख्या 413 दिनांक 01.07.1999 को दर्ज किया गया है। वादी की भूमि पर केचमेन्ट की कार्यवाही हुई और केचमेन्ट की कार्यवाही होने के कारण वादी की भूमि को अवाप्त किया गया, जिसके बदले वादी को खसरा नम्बर 612 की रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि ग्राम ताथेड़, पटवार हल्का ताथेड, भू०अभि०नि0 क्षेत्र ताथेड़, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में प्रदान की गई। उक्त भूमि पर वादी सन् 1999 से लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, परंतु उक्त भूमि सन् 1999 से लेकर आज तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादी की अवाप्त की गई भूमि खसरा नम्बर नं. 741 की रकबा 1.45 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी की भूमि थी, जिस पर केचमेन्ट की कार्यवाही हुई और केचमेन्ट् की कार्यवाही के दौरान अवाप्त की गई, जिसके बदले वादी को खसरा नम्बर 1012 प्रदान की गई और नामान्तकरण दर्ज कर भूमि को वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया गया। कानूनन तीन वर्ष तक लगातार गैर खातेदारी की भूमि पर गैर खातेदार द्वारा काश्त करने पर खातेदारी में दर्ज कर दिये जाने के प्रावधान है, परंतु आज तक वाद वर्णित भूमि गैर खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही है, जिसके कारण वादी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वादी वाद वर्णित भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी की अवाप्त हुई

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

भूमि वादी की खातेदारी की भूमि थी, ऐसी स्थिति में अवाप्ति के बाद बदले में प्राप्त हुई भूमि भी वादी की खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिये थी, परंतु प्रतिवादी ने भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं करते हुये गैर खातेदारी में दर्ज करने में गलती की है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी ने दिनांक 12.10.2023 को और इसके पूर्व कई बार श्रीमान् तहसीलदार महोदय लाड़पुरा के यहां उपस्थित होकर वाद वर्णित भूमि का खातेदारी में दर्ज करने का अनुरोध किया, परंतु आज तक भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं की गई और अब प्रतिवादी द्वारा वादी को यह निर्देश दिये गये कि वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर खातेदारी के आदेश जारी करवाये, तब ही भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज किया जायेगा इसलिये वादी को चाही गई सहायता के लिये वाद पेश करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमायी जावे कि वादी के कब्जे काश्त एवं गैर खातेदारी की भूमि खाता संख्या 375 के खसरा नम्बर 1012 की रकबा 0.1000 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम ताथेड़, पंटवार हल्का ताथेड भू०अभि०नि0 क्षेत्र ताथेड़, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे और तदनुसार इंद्राज दुरूस्ती करते हुये वादी का नाम वाद वर्णित भूमि के राजस्वं रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो समीचीन हो वह वादी के पक्ष में प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि ग्राम ताथेड़ की भूमि की सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2038–57 खाता संख्या 31 से खसरा नं0 741 रकबा 1.45 है0 भूमि जगन्नाथ पुत्र गोपाल जाति धाकड़ सा. देह खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड थी। खसरा नं. 741 रकबा 1.45 है0 में 0.10 है0 की कटौती के पश्चात नये खसरा नं. ग्राम रामराजपुरा में 1109 रकबा 1.25 है0 व ग्राम ताथेड़ में नये खसरा नं0 1012 रकबा 0.10 है0 बना जिसका नामान्तरकरण संख्या 413 से दर्ज हुआ। जिसमें प्रार्थी को खसरा नं0 1012 रकबा .0.10 है0 में गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि पूर्व में ग्राम रामराजपुरा में दर्ज भूमि खातेदारी में दर्ज थी।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र पत्र के कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वादी की अवाप्त की गई भूमि खसरा नम्बर नं. 741 की रकबा 1.45 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी की भूमि थी, जिस पर केचमेन्ट की कार्यवाही हुई और केचमेन्ट की कार्यवाही के दौरान अवाप्त की गई, जिसके बदले वादी को खसरा नम्बर 1012 प्रदान की गई और नामान्तकरण दर्ज कर भूमि को वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल (गत) केचमेंट ब्लॉक ताथेड़ा वर्ष 98–99 ग्राम रामराजपुरा के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी जगन्नाथ पुत्र गोपाल जाति धाकड़ के खसरा नं0 741 रकबा 1.45 है0 खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड था। दस्तावेज पुनः आवंटन कृषक सूची केचमेंट ब्लॉक ताथेड़ ग्राम रामराजपुरा वर्ष 98–99 के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रार्थी जगन्नाथ पुत्र गोपाल के खाते में दर्ज खसरा नं0 741 रकबा 1.45 है0 में केचमेंट के दौरान सामान्य कटौती 0.10 है0 की गई। तत्पश्चात पुनः आवंटन योग्य क्षेत्रफल 1.35 है0 शेष रहा। नये खसरा नं0 1109 रकबा 1.25

उपखण्ड अधिकारी
को.

है0 ग्राम रामराजपुरा में खातेदारी में दर्ज किया गया एवं शेष 0.10 है0 इंतकाल संख्या 413 से ग्राम ताथेड़ में गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया गया। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि खसरा नं. 741 रकबा 1.45 है0 में 0.10 है0 की कटौती के पश्चात नये खसरा नं. ग्राम रामराजपुरा में 1109 रकबा 1.25 है0 व ग्राम ताथेड़ में नये खसरा नं0 1012 रकबा 0.10 है0 बना जिसका नामान्तरकरण संख्या 413 से दर्ज हुआ। जिसमें प्रार्थी को खसरा नं0 1012 रकबा .0.10 है0 में गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि पूर्व में ग्राम रामराजपुरा में दर्ज भूमि खातेदारी में दर्ज थी। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ताथेड़ के खाता संख्या 375 के खसरा नं0 1012 रकबा 0.100 है0 में प्रार्थी जगन्नाथ पुत्र गोपाल की गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर शुद्धि की जावे।

उक्त निर्णय आज दिनांकः 25/11/22 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी * कोटा *